dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं0 18008909715

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 4483 /12-1 चकराता, दिनांक 27 मई 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
चकराता।

विषय :– पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) of 30 OCTOBER, 2023-reg की बैठक

संदर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–927/1जी–5095(रा0रा0प्रा0) दिनॉक 09.11.2023 एवं ई0डी0एस0 दिनॉक 18.11.2023

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से दिनॉक 30.10.2023 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति कार्यालय में प्राप्त हुई है। कार्यवृत्त की प्रति आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि बैठक के कार्यवृत्त के एजेण्डा आईटम नं0–5 मे लिए गये निर्णय के अनुपालन मे लौखण्डी बुधेर मोटर मार्ग से ग्राम उदांवा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु पुनः स्थलीय जॉच किये जाने तथा प्रस्तावक विभाग से उक्त मोटर मार्ग का संशोधित प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या–1974/12–1 दिनॉक 21.11.2023 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी को निर्देशित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा मौके पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा पत्रांक–668/12 दिनॉक 15.03.2024 से अवगत कराया कि उनके द्वारा दिनॉक 14.12.2023 को मौके का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। उनकी स्थलीय निरीक्षण के अनुसार उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मात्र एक गॉव उदांवा का लाभान्वित होगा तथा मौके पर अत्यधिक यातायात (Heavy traffic) नही है एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा लौखण्डी बुधेर मोटर मार्ग से ग्राम–उदांवा तक मोटर मार्ग निर्माण 3–4 मी0 चौड़ाई में किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव 03–04 मी0 की चौड़ाई में संशोधित कर संशोधित प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करते हुये हार्ड प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(मयंक शेखर झा)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–
1–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2–वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मयंक शेखर झा)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 4036